न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र:–183 / 2019

दायर दिनांक: 04.12.2019

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. हरिराम आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी

बनाम

1. सोराज आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. शोपाल आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामसहाय आत्मज लादू जाति बलाई निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. पप्पू आत्मज लादू जाति बलाई निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. कमलेश आत्मज लादू जाति बलाई निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. बृजमोहन आत्मज लादू जाति बलाई निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. जगदीश आत्मज प्रभु जाति नाई निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. सोभाग आत्मज प्रभु जाति नाई निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. पप्पू आत्मज प्रभु जाति नाई निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. रामकिशन आत्मज केसरा जाति मीणा निवासी समिधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. शाखा प्रबन्धक महोदय, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवॉं तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. शाखा प्रबन्धक महोदय, ICICI शाखा देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील नैनवां।

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र – अन्तर्गत धारा 251 "क" आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति:–

1. प्रार्थी के अभिभाषक श्री रामस्वरूप धाकड।
2. अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री महावीर धाकड।

निर्णय दिनांक 28.10.2020

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जगदीशपुरा पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां की सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 134 के अनुसार खसरा संख्या 172 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 173 रकबा 14 बीघा, खसरा संख्या 183 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 184 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 185 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 186 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 80 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। इसके अन्य खातेदारान भी है लेकिन अन्य खातेदारान रास्ते के संबंध में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे है। इस कारण उनके विरूद्ध कोई याचना नही चाहने से पक्षकार नहीं बनाये गये है। तथा खाता संख्या 30 के खसरा संख्या 182 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 191 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 202 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण 7 लगायत 9 के संयुक्त खाते[illegible] संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 व अन्य खातेदारान [illegible] पर विभाजन कर रखा है जिसके अनुसार प्रार्थी के हिस्से के खसरा सं[illegible] पर प्रार्थी ही खेती काश्त करता चला आ रहा है खसरा संख्या 184 प्र[illegible] आदी हुई है लेकिन भूमि खसरा संख्या 184 पर प्रत्यार्थी संख्या 10 काबिज है। भूमि [illegible] संख्या 186 में आने [illegible] एक मात्र रास्ता जो ग्राम समिधी से मानपुरा जाने वाले पक्के डामर[illegible]ड से फटकर भूमि ख[illegible] 182 व 219

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 13:00:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होता हुआ भूमि खसरा संख्या 184 तथा 185 के पश्चिमी मेड पर होता हुआ खसरा संख्या 186 में पहुचता है जो कि परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त रास्ता 30 फुट चौडा रास्ता था जिस पर प्रार्थी अपने पूवजों के समय से ही इसी रास्ते को उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेखों में दर्ज नही है जिस कारण प्रत्यार्थीगण उक्त रास्ते में प्रार्थी को आने जाने में अवरोध उत्पन्न करते है यह प्रार्थना पत्र का कारण है।

प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 व परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को खुलासा करवाने, रास्ते को 30 फिट चौडा करवायं तथा उक्त रास्ते को समस्त राजस्व अभिलेखो में दर्ज करवाये एवं प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 10 को प्रार्थी के उक्त रास्ते में कोई हस्तक्षेप नही करे, रास्तें में बाधा उत्पन्न नहीं करे, रास्ते को खुर्द–बुर्द नहीं करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करवाये। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये है।

तहसीलदार नैनवॉ से प्रार्थी को रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार खसरा संख्या 182 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्ग बारानी तृतीय में 2 गठ्ठा चौडी व 10 गठ्ठा लम्बी अर्थात 01 बिस्वा भूमि रास्ते में आयेगी इसके बाद खसरा संख्या 184 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय में 2 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात 03 बिस्वा भूमि रास्ते में आएगी। उसके बाद खसरा संख्या 185 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय में 2 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात 03 बिस्वा भूमि रास्ते में आएगी। प्रार्थी को दिया जाने वाला रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट रास्ते बाबत का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई, प्रार्थीगण को उनके खातेदारी के खेत में आने–जाने व ट्रेक्टर ट्रॉली कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। जिसको तहसीलदार नैंनवां ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता दिया जाना उपयुक्त माना है तथा रास्ते को नक्शा ट्रेश में प्रस्तावित कर पेश किया है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण को अपने खाते के खेत में पहुंचने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित समझता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। ग्राम जगदीशपुरा पटवार मण्ड़ल मानपुरा तहसील नैंनवां की सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 134 के अनुसार खसरा संख्या 172 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 173 रकबा 14 बीघा, खसरा संख्या 183 रकबा 14 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 184 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 185 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 186 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 80 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि तथा खाता संख्या 30 के खसरा संख्या 182 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 191 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 202 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा कृषि भूमि पर आने जाने व ट्रेक्टर ट्रॉली आदि लाने ले जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 182 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि वर्ग बारानी तृतीय में 2 गठ्ठा चौडी व 10 गठ्ठा लम्बी अर्थात 01 बिस्वा भूमि, खसरा संख्या 184 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय में 2 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात 03 बिस्वा भूमि तथा खसरा संख्या 185 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय में 2 गठ्ठा चौडी व 30 गठ्ठा लम्बी अर्थात 03 बिस्वा भूमि नक्शा ट्रेश के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के नक्शा ट्रेश को परिशिष्ट–"क" नाम दिया गया है, जो इस न्यायालय निर्णय का अंग होगा, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरांत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैंनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 13:00:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner